वर्ष:2 **सप्तम अंक** **जुलाई–सितम्बर**, 2013

अनुसूचित जाति वाणी
त्रैमासिक ई-पत्रिका

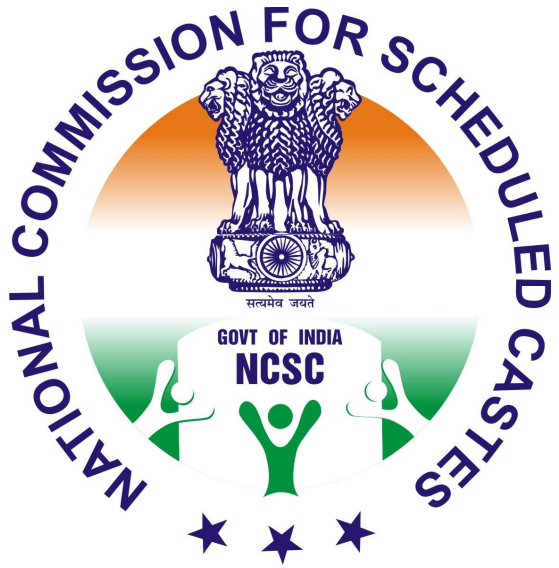

सत्यमेव जयते

भारत सरकार
राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग
सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय
नई दिल्ली

अनुसूचित जाति वाणी

राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग की त्रैमासिक ई-पत्रिका

वर्ष:2 सप्तम अंक जुलाई-सितम्बर, 2013

विषय-सूची पृष्ठ

1. सम्पादकीय
2. अनमोल वचन
3. अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 की धारा (2) के अधीन अपराध
4. अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति(अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 के संबंध में अक्सर पूछे गए कुछ प्रश्न
5. भारतीय संविधान में अनुसचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए महत्वपूर्ण अनुच्छेद
6. हंसना जरूरी है
7. SOME MAJOR RECOMMENDATIONS
8. सामाजिक असमानता पर दिनांक 27-8-2013 को कंस्टीट्यूशनल क्लब, नई दिल्ली में राष्ट्रीय स्तरीय संवाद पर आयोजित सम्मेलन का कार्यवृत्त
9. रा-ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के राज्य कार्यालयों के स्थान, क्षेत्राधिकार और दूरभाष संख्या

- मुख्य संरक्षक:
डॉ. पी.एल. पुनिया,
अध्यक्ष,
राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग

- संरक्षक:
डॉ. श्याम अग्रवाल,
सचिव,
राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग

- मुख्य सम्पादक :
श्री सी.पी. कत्याल,
उप सचिव,
राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग

- सम्पादक :
श्री मांगे राम,
सहायक निदेशक(राजभाषा),
राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग

- समन्वयक:
श्री ए.के. सिंह,
अनुभाग अधिकारी,
राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग

- अपने लेख एवं सुझाव भेजें: सम्पादक, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति वाणी, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग कमरा नं. 314-ए1, तृतीय तल, लोकनायक भवन, खान

संपादकीय

देश में अनुसूचित जातियों के समग्र विकास अर्थात सामाजिक, आर्थिक, राजनैतिक, साहित्यिक, सांस्कृतिक और उनके सभी प्रकार के समन्वय और उन्नयन के लिए राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग की अहम भूमिका होती है। अनुसूचित जातियों की विकास यात्रा में उनके बीच जितनी जागरूकता पैदा होगी सरकारी तंत्र और आयोग में भी उनके प्रति उतनी ही संवेदना बढेगी। अनुसूचित जातियों की सामाजिक स्थिति को समझनें के लिए हमें उनके जीवन में घटित होने वाली विभिन्न स्थितियों और समस्याओं की ओर ध्यान देना होगा।इतिहास उठाकर देखें तो अनुसूचित जातियों को समाज में शिक्षा प्राप्त करने की इजाजत तक नहीं थी। उस समय दलित सामाजिक कुप्रथाओं के शिकार होने के कारण बुनियादी जरूरतों से भी वंचित थे । उन्हें जिन्दा लाश के रूप में जीना पड़ता था। परन्तु आज अनुसूचित जातियों में विशेष जागृति पैदा हुई है। आज अनुसूचित जातियों ने समाज में अपनी खास पहचान बना ली है। इन्होंने समाज के हर क्षेत्र में प्रवेश करके जीवन को विकसित किया है। फिर भी, समाज में कुछ ऊंची जाति के रूढिवादियो और समाज के ठेकेदारों द्वारा इन जातियों के प्रति भेदभाव एवं अत्याचार जारी है। उनका दमन किया जाता है।

इस जातीय क्रूरता एवं बर्बरता की घटनाओं के कारण समाज और देश पर एक कलंक लग गया है। जिसे मिटाने के लिए समाज और ऊंची जातियों को अपनी सोच में बदलाव लाना होगा ऐसे जातिगत अपराधों का डटकर मुकाबला करना होगा। ऐसा नहीं है कि इन अपराधों को रोकने के लिए कोई कानून नहीं है। कड़े कानून तो हमारे संविधान में मौजूद हैं। केन्द्र और राज्यों के कई कानून हैं जिनमें अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए सुरक्षणों के प्रावधान है। इनमें से कुछ विभिन्न्

संवैधानिक प्रावधानों से उत्पन्न हुए हैं। जैसे कि नागरिक अधिकार संरक्षण अधिनियम, 1955, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989, बंधित श्रम पद्वति (उत्सादन) अधिनियम, 1976, बाल श्रम (प्रतिषेध और विनियमन) अधिनियम, 1986, विभिन्न राज्यों में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जन जाति के लोगो की भूमि के हस्तांतरण को प्रतिषिद्व करने के लिए लागू अधिनियम और विनियम। कुछ राज्यों में ऐसे प्रावधान भू-राजस्व संहिता में विद्यमान हैं।विभिन्न राज्यों में अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जन जाति की हस्तांतरित भूमि को पुनः उन्हें वापस दिलाने संबंधी अधिनियम, वन (संरक्षण), 1980 परंतु परन्तु इन कानूनों को लागू करने व करवाने में कानून के रक्षक और संबंधित अधिकारियों की उदासीनता और गैर जिम्मेदाराना रवैया के कारण अपराधियों के अन्दर कानून का कोई भय नहीं दिखाई देता है। यही कारण है कि दिन-प्रतिदिन दलितों के साथ घ्रणित व देश को शर्मसार करने वाली घटनाएं घट रही हैं। यदि वास्तव में हम समाज में गंदगी फैलाने वाले आपराधिक तत्वों से निजात पाना चाहते हैं तो हमारी सरकार को इनको दण्डित करने के लिए कानून के लचीलेपन और लम्बी प्रक्रिया को छोड़कर कठोरता के साथ इन जहरीले सांपों का सिर बिना विलम्ब किए कुचल देना चाहिए ताकि ऐसे लागों को कठोर संदेश मिलने के सा इनके मन में कानून का खौप भी उत्पन्न हो सके और दलितों की सुरक्षा तथा सभ्य समाज की रक्षा हेतु कानूनए समाज तथा सरकार को इन सामाजिक तत्वों का खात्मा करने में जरा भी हिचकिचाहट नहीं होनी चाहिए। इसके लिए दलितों को भी अपना विरोध जताकर सामने आना होगा । समाज के ठेकेदारों को दलितों के प्रति अपनी सोच बदल कर उनकी सुरक्षा तथा उत्थान के कार्य करने चाहिए तभी एक सुदृढ समाज का निर्माण होगा। जहां दलितों का सम्मान होता है वहां सुख-समृद्वि तथा विकास का मार्ग प्रशस्त होता है।

अनमोल वचन–

एक महान आदमी एक प्रतिष्ठित आदमी से इस तरह से अलग होता है कि वह समाज का नौकर बनने को तैयार रहता है।

–अंबेडकर

एक सफल क्रांति के लिए सिर्फ असंतोष का होना पर्याप्त नहीं है जिसकी आवश्यक्ता है वो है न्याय एवं राजनीतिक और सामाजिक अधिकारों में गहरी आस्था।

–अंबेडकर

सबसे बड़ा धर्म है अपने स्वभाव के प्रति सच्चे होना । स्वयं पर विश्वास करो। जो अग्नि हमें गर्मी देती है, हमें नष्ट भी कर सकती है। यह अग्नि का दोष नहीं है।

–स्वामी विवेकानन्द

मनुष्य प्राकृतिक रूप से ज्ञान की इच्छा रखता है।

–अरस्तु

न मैं एक बच्चा, न एक नवयुवक, न ही मैं पौराणिक हूं और न ही किसी जाति का हुं।

–गुरूनानक देव

पानी और उसका बुलबुला एक ही चीज है। उसी प्रकार जीवात्मा और परमात्मा एक ही चीज है, फर्क यह है कि एक परिमित है, दूसरा अनन्त, एक परतंत्र है, दूसरा स्वतंत्र।

- रामकृष्ण परमहंस

द्वितीय खंड

अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 की धारा (2) के अधीन अपराध–

कोई भी व्यक्ति, जो अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति का सदस्य नहीं है :

(i) मिथ्या साक्ष्य देगा या गढेगा जिससे उसका आशय अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति के किसी सदस्य को किसी ऐसे अपराध के लिए जो तत्समय प्रवृत्त विधि द्वारा मृत्यु दंड से दंडनीय है, दोष सिद्ध कराना है या वह यह जानता है कि इससे उसका दोष सिद्ध होना संभाव्य है, वह आजीवन कारावास से और जुर्माने से दंडनीय होगा: और यदि अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति के किसी निर्दोष सदस्य को ऐसे मिथ्या या गढ़े हुए साक्ष्य के फलस्वरूप दोषसिद्ध किया जाता है और फांसी दी जाती है तो वह व्यक्ति, जो ऐसा मिथ्या साक्ष्य देता है या गढ़ता है, मृत्यु दंड से दंडनीय होगा:

(ii) मिथ्या साक्ष्य देगा या गढेगा जिससे उसका आशय अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति के किसी सदस्य को किसी ऐसे अपराध के लिए मृत्यु दंड से दंडनीय नहीं है किन्तु सात वर्ष या उससे अधिक की अवधि के कारावास से दंडनीय है, दोष सिद्ध करना है या वह जानता है कि उससे उसका दोष सिद्ध होना संभाव्य है वह कारावास से, जिसकी अवधि छह मास से कम नहीं होगी किन्तु जो सात वर्ष या उससे अधिक वर्ष या उससे अधिक की हो सकेगी और जुर्माने से, दंडनीय होगा:

(iii) अग्नि या किसी विस्फोटक पदार्थ द्वारा रिष्टि करेगा जिससे उसका आशय अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति के किसी सदस्य की किसी सम्पत्ति को नुकसान पहुंचाना है या वह यह जानता है कि उससे ऐसा होना संभाव्य है वह कारावास से, जिसकी अवधि दह मास से कम की नहीं होगी किन्तु जो सात वर्ष तक की हो सकेगी, और जुर्माने से, दंडनीय होगा:

(iv) अग्नि या किसी विस्फोटक पदार्थ द्वारा रिष्टि करेगा जिससे उसका आशय किसी ऐसे भवन को जो अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति के किसी सदस्य द्वारा साधारणत: पूजा के स्थान के रूप में या मानव आवास के स्थान के रूप में या सम्पत्ति की अभिरक्षा के लिए किसी स्थान के रूप में उपयोग किया

जाता है, नष्ट करता है या वह यह जानता है कि उससे ऐसा होना संभाव्य है वह आजीवन कारावास से और जुर्माने से दंडनीय होगा:

(v) भारतीय दंड संहिता (1860 का 45) के अधीन दस वर्ष या उससे अधिक की अवधि के कारावास से दंडनीय कोई अपराध किसी व्यक्ति या सम्पत्ति के विरुद्ध इस आधार पर करेगा कि ऐसा व्यक्ति अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति का सदस्य है या ऐसी सम्पत्ति ऐसे सदस्य की है, वह आजीवन कारावास से, और जुर्माना से दंडनीय होगा:

(vi) यह जानते हुए या यह विश्वास करने का कारण रखते हुए कि इस अध्याय के अधीन कोई अपराध किया गया है, वह अपराध किए जाने के किसी साक्ष्य को, अपराधी को विधित दंड से बचाने के आशय से गायक करेगा या उस आशय से अपराध के बारे में कोई ऐसी जानकारी देगा जो वह जानता है या विश्वास करता है कि वह मिथ्या है, वह उस अपराध के लिए उपबंधित या दंडनीय होगा:

(vii) लोक सेवक होते हुए इस धारा के अधीन कोई अपराध करेगा, वह कारावास से, जिसकी अवधि एक वर्ष से कम की नहीं होगी किन्तु जो उस अपराध के लिए उपबंधित दंड तक हो सकेगी, दंडनीय होगा ।

क्या अधिनियम के अंतर्गत अपराध संज्ञेय अपराध है ?

जी हां । अधिनियम के अंतर्गत सभी अपराध संज्ञेय अपराध है । पुलिस किसी व्यक्ति को गिरफ्तार कर सकती है और न्यायालय से पूर्व अनुमति लिए बिना जांच-पड़ताल कर सकता है ।

इसके अतिरिक्त, यदि कोई सरकारी कर्मचारी, जो अ.जा./अ.ज.जा. समुदाय से संबंधित नहीं है, अधिनियम के प्रावधानों के अंतर्गत प्रथापेक्षित अपने कर्त्तव्यों के प्रति लापरवाह है तो उसके खिलाफ विधिक प्रक्रिया की जानी चाहिए तथा यदि दोषी पाया जाता है, तो उसे छः माह का कारावास हो सकता है ।

शिकायत कौन दर्ज कर सकता है ?

कोई भी व्यक्ति शिकायत दर्ज करवा सकता है, यदि उसके पास उचित कारण विद्यमान है कि कोई अपराध अधिनियम के अंतर्गत किया गया है । यह आवश्यक नहीं है कि शिकायतकर्ता अनु.जा./अनु.ज.जा. श्रेणी से संबंधित हो ।

शिकायत में किसी प्रकार की सूचना दी जानी चाहिए?

(क) शिकायतकर्ता का नाम व पता
(ख) अपराधी का नाम व पता
(ग) अपराध की तारीख, समय व स्थान
(घ) अपराध में शामिल व्यक्तियों के नाम तथा उनके विवरण
(ङ) अपराध से संबंधित तथ्य
(च) साक्षियों के नाम व पते
(छ) अन्य संगत सूचना, यदि कोई है ।

शिकायत दर्ज करने की प्रक्रिया

(क) जब मौखिक शिकायत की जाती है, तो पुलिस कार्मिक को वह शिकायत लिखनी चाहिए ।

(ख) पुलिस कार्मिक को उसके द्वारा नोट की गई शिकायत, शिकायतकर्ता को पढ़कर सुनानी चाहिए ।

(ग) शिकायतकर्ता को पुलिस कार्मिक द्वारा नोट की गई सूचना पर अपने हस्ताक्षर करने चाहिए।
(घ) शिकायतकर्ता को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि पुलिस द्वारा नोट की गई शिकायत, उसके द्वारा वर्णित कथनानुसार ही है तथा प्रथम सूचना रिपोर्ट में मूल तथ्य लिखने से छूट तो नहीं गए ।

(ङ) शिकायतकर्ता को पेलिस द्वारा दर्ज की गई, प्रथम सूचना रिपोर्ट की प्रति प्राप्त करने का अधिकार है ।

हमारा कर्त्तव्य क्या है यदि हम देखते हैं कि अधिनियम के अन्तर्गत कोई अपराध किया गया है?

हमें निकटवर्ती पुलिस थाने में घटना की सूचना देनी चाहिए ।

अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति के सदस्य के ऊपर हुए अपराध जिसको अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति अधिनियम, 1989 में दर्ज किया गया हो, की जांच कौन कर सकता है तथा यह जांच–पड़ताल पूरी करने के लिए क्या समय–सीमा है?

अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार इस प्रकार के मामले में कम से कम उस पुलिस अधीक्षक के रैंक के अधिकारी को मामले की जांच-पड़ताल करनी है तथा जांच रिपोर्ट 30 दिनों के अन्दर देनी आवश्यक है ।

अधिनियम के अंतर्गत किसी मामले को दर्ज करने से पुलिस द्वारा इंकार करने की स्थिति में शिकायतकर्ता को करना चाहिए?

यदि पुलिस अधिकारी थाने में किसी मामले को दर्ज करने से मना करता है तो शिकायतकर्ता अपनी शिकायत संबंधित पुलिस अधीक्षक को दे सकता है जिससे शिकायत की जांच-पड़ताल करने की अपेक्षा हो । ताकि वह इस बारे में तुरन्त आवश्यक कार्यवाही करवाएं ।

अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 के संबंध में अक्सर पूछे गए कुछ प्रश्न

पुलिस

यदि मामला पहले से ही भारतीय दंड संहिता के अन्तर्गत दर्ज है तो उसे अत्याचार निवारण अधिनियम, 1989 की धारा 3 के अंतर्गत पुन: क्यों दर्ज करवाया जाना चाहिए ।

क्योंकि अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 के प्रावधान अत्यधिक दंडात्मक के साथ-साथ इसमें पुनर्वास तथा आर्थिक राहत का प्रावधान है ।

यह कैसे समझा जाए कि शिकायतकर्ता अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति का सदस्य है ।

जाति प्रमाण-पत्र अविलम्ब प्रस्तुत करने पर बल दिया जाए । परन्तु केवल जाति प्रमाण-पत्र के अभाव में प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करने से भी इंकार न करें । इसके लिए शिकायतकर्ता/पीड़ित को कुछ समय दें ।

यह कैसे सिद्ध किया जा सकता है कि घटना का उद्देश्य बदला/जातिगत भावना है ?

पीड़ित व्यक्ति को अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति से है, की जाति के बारे में पूर्व जानकारी भी उस पर अन्य व्यक्ति द्वारा अत्याचार किए जाने का मुख्य कारण भी हो सकता है इसलिए इस बारे में पिछली जानकारियां भी मालूम करें कि उनके मध्य वाद-विवाद, लड़ाई-झगड़ा आदि पहले से ही तो नहीं था । जिससे यह निष्कर्ष निकल सकेगा कि वर्तमान विवाद और अपराध का एकमात्र उद्देश्य/मुख्य उद्देश्य जाति भावना/पूर्वाग्रह में गहरी जड़ों का होना हो सकता है ।

यदि अपराधी के खिलाफ मामला भारतीय दंड संहिता के अंतर्गत पहले से ही दर्ज करवाया जा चुका है तो उसे अत्याचार निवारण अधिनियम के अंतर्गत पुन: किसी प्रकार दर्ज किया जा सकता है ?

अत्याचार निवारण अधिनियम के अंतर्गत अनुपूरक आरोप लगाए जा सकते हैं और विचारण के दौरान न्यायालय आदि को तथ्य/रिपोर्ट प्रस्तुत की जा सकती है ।

यदि शिकायत में सत्यता प्रतीत नहीं होती है, तो प्रथम सूचना रिपोर्ट को क्यों रिकार्ड कर और बोझ बढ़ाया जाए, जिससे पुलिस के कार्य-निष्पादन पर प्रभाव पड़े ?

- कृपया अपनी तर्कसंगत बात पर अडिग न रहे । क्योंकि जांच के पूर्व आपराधिक दंड संहिता की धारा 154, पुलिस की भूमिका में किसी भी प्रकार की कल्पना करने का उल्लेख नहीं करती।

- उच्चतम न्यायालय ने पुलिस को न्यायोचित रहने की इजाजत दी है परन्तु इसका तात्पर्य यह नहीं है कि किसी शिकायत के तथ्यों की जांच-पड़ताल किए बिना ही पूर्णतया रद्द कर दिया जाए ।

- रुके, तथ्यों की जांच करें, यदि प्रथम दृष्टया झूठे पाए जाते हैं तो प्राथमिक जांच-पड़ताल के आधार पर कारण देते हुए प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करने से इन्कार करें, परन्तु कार्रवाई शीघ्र करें ।

जब दोनों पक्ष एक–दूसरे के खिलाफ प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करवाने हेतु प्रयासरत हो, तो ऐसी स्थिति में क्या किया जा सकता है ।

जांच करें तथा सत्यता मालूम करें ।

पीड़ित

जब थाना प्रभारी प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करने से इंकार करे, तो क्या किया जा सकता है ?

पुलिस अधीक्षक के पास जाएं तथा अपनी शिकायत उन्हें लिखित में दें ।

पुलिस को कैसे मनवाया जाए ?

- अपनी जाति पहचान का प्रमाण दिखाएं ।
- पुलिस के पास लिखित शिकायत दर्ज करवाएं ।
- लिखित रूप में शपथ पत्र द्वारा अपने कथन के समर्थन में विधिपूर्वक साक्षी/साक्षियों के हस्ताक्षरित बयान लगाएं ।
- प्रत्यक्ष व सूक्ष्म साक्ष्य सहित प्रयोजन सिद्ध करने का प्रयास करें ।
- ड्यूटी अधिकारी द्वारा विधिवत हस्ताक्षरित अपनी शिकायत की रसीद लें ।

तृतीय खंड

भारतीय संविधान में अनुसचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए महत्वपूर्ण अनुच्छेदः

भारतीय संविधान का मूल अनुच्छेद 338–
अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों आदि के लिए विशेष अधिकारी

(1) अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों आदि के लिए विशेष अधिकारी जिसे राष्ट्रपति नियुक्त करेंगे।

(2) विशेष अधिकारी का यह कर्तव्य होगा कि वह अनुसूचित जातियोंऔर
अनुसूचित जन जातियों के लिए इस संविधान में दिए गए सुरक्षणों से संबंधित सभी विषयों का अन्वेषण करे और उन सुरक्षणों के कार्यकरण के संबंधमें ऐसे अंतरालों पर, जो राष्ट्रपति निर्दिष्ट करे, राष्ट्रपति को प्रतिवेदन दे और राष्ट्रपति ऐसे प्रतिवेदनों को संसद के प्रत्येक सदन के समक्ष रखवायेंगे।

अनुच्छेद 338 (1)– में उल्लिखित विशेष अधिकारी को भारत के प्रथम राष्ट्रपति डा. राजेन्द्र प्रसाद ने अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के आयुक्त का पदनाम दिया था।

अनुच्छेद 350 (**क**)– प्रत्येक राज्य और राज्य के भीतर प्रत्येक स्थानीय प्राधिकारी भाषाई अल्पसंख्यक वर्गों के बालकों को शिक्षा के प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा की पर्याप्त सुविधाओं की व्यवस्था करने का प्रयास करेगा और राष्ट्रपति किसी राज्य को ऐसे निदेश दे सकेंगे जो वह ऐसी सुविधाओं का उपबंध सुनिश्चित कराने के लिए आवश्यक या उचित समझते हैं। अधिकांश जनजाति समुदायों की अपनी-अपनी भाषा अथवा बोली होती है जो प्रायः राज्य की राजभाषा के भाषा परिवार की न होकर भिन्न भाषा परिवार की होती है। कई विशेषज्ञ आयोगों तथा समितियों ने सिफारिश की है कि जनजातिय बच्चों को प्राथमिक पाठशालाओं में कम से कम पहली तथा दूसरी कक्षाओं में उनकी मातृभाषा में शिक्षा दी जाए।

अनुच्छेद 338 **के खण्ड** (5), (8), (9) **और** (10) में आयोग के कार्यों को निर्धारित किया गया है। निर्धारित कार्य संक्षेप में इस प्रकार हैं-

संविधान, कानून और आदेशों में प्रदत्त सुरक्षणों का अन्वेषण तथा अनुवीक्षण (मानीटरिंग)
अनुच्छेद 46– में विकास संबंधी और विनियमन संबंधी दोनों प्रकार के पहलू सम्मिलित है। राज्य, जनता के दुर्बल वर्गों के, विशिष्टतया अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के शैक्षिक तथा आर्थिक हितों की विशेष सावधानी से अभिवृद्वि करेगा और सभी प्रकार के शोषण से उनकी संरक्षा करेगा।

अनुच्छेद 17– छुआछूत का अंत किया जाता है और उसका किसी भी रूप में आचरण निषिद्व है। छुआछूत् से उपजी किसी निर्योग्यता को लागू करना अपराध होगा जो विधि के अनुसार दंडनीय होगा। इसके अंतर्गत दो महत्वपूर्ण कानून हैं- नागरिक अधिकार संरक्षण अधिनियम, 1955 तथा अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989.

अनुच्छेद 23– मानव का दुर्व्यापार और बेगार तथा इसी प्रकार के अन्य बलात् श्रम प्रतिषिद्व करता है और प्रावधान करता है कि इस उपबंध का कोई भी उल्लंघन अपराध होगा जो विधि के अनुसार दंडनीय होगा। इस अनुच्छेद में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों का अलग से उल्लेख नहीं है परंतु चूंकि बहुसंख्यक बंधुआ मजदूर इन्हीं जातियों के होते हैं, इस अनुच्छेद का विशेष महत्व है। इसके अंतर्गत बंधक मजदूर प्रथा (उन्मूलन)

अनुच्छेद 24 में प्रावधान है कि चौदह वर्ष से कम वर्ष के किसी बालक को किसी कारखाने या खान में काम करने के लिए या किसी अन्य खतरनाक नियोजन में नहीं लगाया जाएगा । बाल श्रम को रोकने के लिए केन्द्रीय तथा राज्य कानून है । यह अनुच्छेद भी अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति के लिए महत्वपूर्ण है क्योंकि खतरनाक नियोजन में लगे बाल श्रमिकों को बहुमत नहीं, तथापि काफी बड़ा भाग अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति का है ।

अनुच्छेद 25(2) (**ख**) में प्रावधान है कि सार्वजनिक प्रकार की सभी हिन्दू धार्मिक संस्थायें हिंदुओं के सभी वर्गों और अनुभागों के लिए खुली रहेंगी । यह उपबंध सुसंगत है क्योंकि हिन्दुओं के कुछ सम्प्रदाय के मंदिरों में प्रवेश करने का अधिकार है । परन्तु वास्तव में ऐसे मंदिरों में अनुसूचित जाति के लोगों का प्रवेश रोकने के लिए यह केवल एक बहाना था । इस उपबंध के लिए हिन्दू शब्द में सिख, जैन तथा बौद्ध का भी समावेश है ।

अनुच्छेद 244 (1) के अनुसार पांचवीं अनुसूची में प्रावधान असम, मेघालय, मिज़ोरम और त्रिपुरा राज्यों को छोड़ कर किसी अन्य राज्य के अनुसूचित क्षेत्रों और अनुसूचित जनजातियों के प्रशासन तथा नियंत्रण के लिए लागू होंगे ।

अनुच्छेद 275 (1) में प्रावधान है कि "किसी राज्य के राजस्वों में सहायता अनुदान के रूप में भारत की संचित निधि में से ऐसी पूंजी और आवर्ती राशियां संदत्त की जायेंगी जो उस राज्य को उन विकास स्कीमों के खर्चों को पूरा करने में समर्थ बनाने के लिए आवश्यक हों जिन्हें उस राज्य में अनुसूचित जनजातियों के कल्याण की अभिवृद्धि करने या उस राज्य में अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन स्तर को उस राज्य के शेष क्षेत्रों के प्रशासन स्तर तक उन्नत करने के प्रयोजन के लिए उस राज्य द्वारा भारत सरकार के अनुमोदन से हाथ में लिया जाए ।

अनुच्छेद 15 (4) राज्य को सामाजिक और शैक्षिक दृष्टि से पिछड़े हुए नागरिकों के किन्हीं वर्गों की उन्नति के लिए कोई विशेष उपबंध बनाने की शक्ति देता है । यह उपबंध संविधान में संविधान (पहला संशोधन) अधिनियम, 1951 द्वारा जोड़ा गया था जिसके द्वारा कई अनुच्छेद संशोधित किए गए थे । इस उपबंध ने राज्य में अनुसूचित जा तथा अनुसूचित जनजाति के लिए तकनीकी, अभियांत्रिकी तथा मेडिकल कॉलेजों सहित शैक्षिक संस्थाओं में स्थान सुरक्षित करने के अधिकार दिए । इस अनुच्छेद में तथा अनुच्छेद 16(4) में "पिछड़े वर्ग" शब्दों का प्रयोग "जेनेरिक" रूप में किया गया है और इनमें पिछड़े वर्गों की कई श्रेणियां शामिल हैं यथा अनुसूचित जातियां, अनुसूचित जनजातियां, अन्य पिछड़े वर्ग, विमुक्त जातियां तथा घुमन्तु/अर्ध-घुमन्तु (खानाबदोश) जातियां या समुदाय ।

अनुच्छेद 16 (4) राज्य को पिछड़े हुए नागरिकों के किसी वर्ग के पक्ष में, जिनका प्रतिनिधित्व राज्य की राय में राज्य के अधीन सेवाओं में पर्याप्त नहीं है, नियुक्तियों या पदों के आरक्षण का प्रावधान करने की शक्ति प्रदान करता है ।**अनुच्छेद** 29 (1) में प्रावधान है कि "भारत के क्षेत्र या उसके किसी भाग के निवासी नागरिकों के किसी अनुभाग को, जिसकी अपनी अलग भाषा, लिपि या संस्कृति है, उसे बनाए रखने का अधिकार होगा ।" यह अनुच्छेद सभी अनुसूचित जनजातियों के लिए विशेष महत्व रखता है । संथालों की अपनी अलग लिपि भी है जिसे ओलचिकी कहते हैं ।

अनुच्छेद 164 (1) में प्रावधान है कि बिहार, मध्य प्रदेश और उड़ीसा राज्यों में जनजातियों के कल्याण प्रभारी एक मंत्री होंगे जिसे साथ ही अनुसूचित जातियों और पिछड़े वर्गों के कल्याण का या किसी अन्य कार्य का भार भी दिया जा सकता है ।

अनुच्छेद 330 में लोक सभा में अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति के लिए स्थानों के आरक्षण का प्रावधान है ।

अनुच्छेद 332 में राज्यों की विधान सभाओं में अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति के लिए स्थानों के आरक्षण का प्रावधान है ।

अनुच्छेद 334 में मूल रूप में यह व्यवस्था थी कि लोक सभा और राज्यों की विधान सभाओं की सीटों में अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षण का प्रावधान (और लोक सभा तथा कुछ राज्यों की विधान सभाओं में नामज़दगी द्वारा ऐंग्लो-इंडियन समुदाय के प्रिनिधित्व का प्रावधान) संविधान के प्रारंभ के दस वर्ष की अवधि के अंत पर समाप्त हो जाएगा । इस अनुच्छेद का संशोधन चार बार किया जा चुका है और प्रत्येक अवसर पर उक्त अवधि को दस वर्ष के लिए बढ़ाया गया है ।

अनुच्छेद 371 (**क**) में नागालैंड से संबंधित विशेष प्रावधान हैं ।
अनुच्छेद 371 (**ख**) में असम से संबंधित विशेष प्रावधान हैं ।
अनुच्छेद 371 (**ग**) में मणिपुर से संबंधित विशेष प्रावधान हैं ।
अनुच्छेद 371 (**च**) में सिक्किम से संबंधित विशेष प्रावधान हैं ।

अनुच्छेद 335: "संघ या किसी राज्य के कार्यकलाप से संबंधित सेवाओं और पदों के लिए नियुक्तियां करने में, अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के सदस्यों के दावों का प्रशासन की दक्षता बनाए रखने की संगति के अनुसार ध्यान रखा जाएगा ।"

अनुच्छेद 320 (4) में प्रावधान है कि अनुच्छेद 16(4) के अंतर्गत किसी प्रकार कोई प्रावधान किया जाए अथवा अनुच्छेद 335 के प्रावधानों को किसी प्रकार लागू किया जाए इस विषय में राज्य के लिए संघ लोक सेवा आयोग अथवा किसी राज्य लोक सेवा आयोग से परामर्श अपेक्षित नहीं होगा ।

हंसना जरूरी है–

एक शिक्षक ने पप्पू से पूछा: पप्पू एक बात बताओं कि बस के ड्राईवर और कन्डक्टर के कामों में क्या फर्क होता है ।

पप्पू: मास्टर जी, अगर बस का कन्डक्टर सो जाए तो किसी का टिकट नहीं कटेगा और अगर ड्राईवर सो जाए तो सबका टिकट कट जाएगा ।

* * * *

पत्नी: खाने में क्या बनाऊं ।
पति: कुछ भी बना लो, क्या बनाओगी ।
पत्नी: जो आप कहो ।
पति: दाल-चावल बना लो ।
पत्नी: सुबह ही तो खाए थे ।
पति: तो रोटी-सब्जी बना लो ।
पत्नी: बच्चे नहीं खाएंगे ।
पति: तो छोले-पूरी बना लो ।
पत्नी: मुझे तली हुई चीजें भारी लगती हैं ।
पति: अण्डे की भुजिया बना लो ।
पत्नी: आज वीरवार है ।
पति: परांठे ?
पत्नी: रात को परांठे नहीं खाने चाहिए ।
पति: चलो होटल से मंगवा लेते हैं ।
पत्नी: रोज़-रोज़ बाहर का नहीं खाना चाहिए ।
पति: कढ़ी-चावल ?
पत्नी: दही नहीं है ।
पति: इडली-सांभर ?
पत्नी: समय लगेगा, पहले बोलना था ।
पति: एक काम करो मेगी बना लो ।
पत्नी: मेगी से पेट नहीं भरता ।

पतिः तो फिर क्या बनाओगी ।
पत्नीः जो आप बोलो ।

पड़ोसन: तुम्हारे बेटे और बेटी की शादी हुई है । तुम्हारी बहु और दामाद कैसे हैं ।

जीतोः मेरी बहु तो बहुत बुरी है । रोज़ लेट उठती है और मेरा बेटा उसके लिए चाय बनाता है । घर का कोई काम नहीं करती और जब देखों मेरे बेटे से बाहर का खाना खाने के लिए कहती है ।

पड़ोसन: और तुम्हारा दामाद कैसा है ।

जीतोः मेरा दामाद तो फरिश्ता है । रोज़ मेरी बेटी को चाय बनाकर पिलाता है और वे रोज़ आराम से उठती है । वे उसे घर का कोई काम नहीं करने देता और उसे अकसर खाना खिलाने बाहर ले जाता है । ऐसा दामाद सबको मिले ।

* * * * *

दो महिलाएं कुछ समय बाद मिली तो एक ने पूछा – बहन आपने राजू बेटे का ऊंगली चूसना कैसे छुड़ाया ।
दूसरी महिला – कुछ खास नहीं । उसकी निक्कर ढीली सील दी थी और वे उसे ही पकड़े रहता है ।

* * * * *

प्रेमिका ने प्रेमी से कहा – अपनी शादी के लिए तुम मेरी माँ से मिलकर देखो ।
प्रेमी बोला – नहीं डियर, अब तुम्हारे सिवाय कोई दूसरी मेरे मन में नहीं बस सकती ।

* * * * *

अध्यापकः रोहन, अगर तुम्हारे पास 15 सेब हों, जिनमें से 6 तुम निर्मला को दे दो, 4 सुनीता को दे दो और 5 डोली को दे दो तो तुम्हे क्या मिलेगा ।

रोहनः सर, मुझे 3 नई गर्ल फ्रेंड मिलेंगी ।

* * * *

SOME MAJOR RECOMMENDATIONS
Report of the Sub Group-III
On
Economic Development of SCs
(XII Five Year Plan, 2012-17)

NFDC-SCA CHANNEL FUNDING

Authorized Share Capital of NSFDC to be enhanced to RS.2000 crore.

Subsidy for BPL beneficiaries under NSFDC Schemes to be revised to Rs.30,000 or 50% of Unit cost, whichever is less.

Ministry may make NPA provision for 10% of National Corporation's lending to its SCAs.

LAND AND IRRIGATION

To make Agricultural Land available to all rural SC families

Lands to be acquired at Market Rates for distribution to Landless SCs.

Irrigation facilites for all Irrigable and Non-Irrigable lands held by SCs.

SKILL AND ENTREPRENEURIAL DEVELOPMENT

Skill Training to be imparted in emerging

Skill Training to be imparted in emerging areas with funding from Government.

Residential Skill Training with Boarding and Lodging facilities for rural youth.

Specific information on Industry-wise Skill requirement to be compiled by involving Industry Bodies and Skill Training to be conducted by Nodal Taining Institutions for each Industry (ATDC for Garment Industry, CIPET for Plastrics Industry etc)

EMPLOYMENT GENERATION

Private Sector and Public Sector to be made more responsive for employment generation.

Private Sector to conduct surveyes on skill requirement before establishing their manufacturing facilities in an area (example– case study of NMDC steel plant in Bastar).

Industry to take up in situ Skill Development of SCs living the areas and provide them jobs in their pants (Affirmative Action–CII)

INCENTIVES TO SCc FOR SETTING UP INDUSTRIES

Earmarking exclusive industrial sheds.

Constructing Common Facility Centres on pattern of Cluster Development Scheme of MSME and DC Handicrafts.

Construction of flatted factories and allotment on no profit no loss basis with punitive provisions for subletting, sale or renting the infrastructure.

ALLOTMENT OF SHOPS/KIOSKS IN PRIME AREAS

Government may purchase or construct shops/kiosks in prime areas and allot them to SCs at subsidized rates on long term lease at reasonable rent.

Such enterprises may be developed and subsidized @ 50% out of SCSP funds.

About 10,000 kiosks may be constructed by Government on road sides every year forallotment to educated unemployed SC youth.

CONTRACTS BUSINESS

SCs to be provided easy loans for taking up contract business.

SCs to be given contracts on priority for construction repair, maintenance of buildings, electrification, housekeeping and security work at Government, PSU and MNC premises.

Tripartite agreement between the beneficiaries, Government/PSU/MNC and the financier (Bank/National Corporations) should be entered into.

SHARE IN GOVERNMENT SUPPLIES

25% contracts to be awarded to SCs forsupply of rations, footwear, uniforms, stationery etc to uniformed forces and organized sector.

Tender/quotations of SC bidders should be accepted on priority basis at preferential raes @ 10% of lowest bids as per practice in vogue in CPWD and Delhi PWD.

Tripartite agreements between the beneficiaries, contract awarding agency and the financier (Bank/National Corporations) should be entered into.

सामाजिक असमानता पर दिनांक 27-8-2013 को कंस्टीट्यूशनल क्लब, नई दिल्ली में राष्ट्रीय स्तरीय संवाद पर आयोजित सम्मेलन का कार्यवृत्त

दिनांक 27-8-2013 को राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग ने सामाजिक असमानता पर राष्ट्रीय स्तरीय संवाद आयोजित किया । सुश्री शैलजा, माननीय सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री मुख्य अतिथि थीं । श्री राहुल गांधी, उपाध्यक्ष, अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी, श्री भक्त चरण दास, वक्ता, अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी, श्री दामोदर राजा, उप मुख्यमंत्री, आंध्र प्रदेश सरकार और संसद सदस्य, राज्य विधान सभा के सम्माननीय व्यक्तियों ने इस संवाद में भाग लिया । सम्मेलन की कार्यवाही आरंभ करने से पहले स्वर्गीय श्रीमती लता प्रियाकुमार, माननीय सदस्य, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग, जिनका निधन दिनांक 23-6-2013 को हुआ था, उनकी स्मृति में एक मिनट का मौन धारण किया गया था ।

2. डॉ. राज कुमार वेरका, माननीय उपाध्यक्ष, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग ने अपने स्वागत भाषण में कहा कि माननीय मंत्री और माननीय अध्यक्ष महोदय के नेतृत्व में आयोग ने अनुसूचित जातियों के जीवन में सुधार का एक प्रयत्न किया है । उन्होंन मंत्री महोदय और अध्यक्ष महोदय का खाद्य सुरक्षा विधेयक, हाथ से मैला ढोने के विधेयक और पदोन्नति विधेयक में आरक्षण के लिए भी धन्यवाद दिया ।

3.. माननीय मंत्री, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता ने न्यायपालिका मे आरक्षण सहित विभिन्न विषयों पर राष्ट्रीय अनुसूचित जाति द्वारा किए गए प्रयासों की प्रशंसा की । उन्होंने भारतीय समाज के सामाजिक-आर्थिक बदलाव के लिए तथा सभी वर्गों के लोगों को एकत्रित करने के लिए डॉ. भीमराव अम्बेडकर के अथक् प्रयासों के बारे में श्रोताओं को बताया । हालांकि उन्होंने अफसोस जताया कि नागरिक अधिकार संरक्षण अधिनियम, 1955 और अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 के बावजूद भी हमारे समाज में अभी भी छुआछूत प्रचलित है । सर्वप्रथम यह इन अधिनियमों के क्रियान्वयन की समस्या के कारण है तथा यह उन लोगों की मानसिकता के

कारण है जो विधि को क्रियान्वित करते हैं । उन्होंने बताया कि इसे और अधिक सख्त बनाने के लिए अत्याचार निवारण अधिनियम का संशोधन मंत्रालय में प्रक्रिया में है । उन्होंने यह भी बताया कि उच्च पदों में आरक्षण तथा व्यापार गतिविधियों, खेल, शिक्षा, भूमि व्यवसाय के क्षेत्रों में विशेष रूप से असमानता को कम करने की तत्काल आवश्यकता है । उन्होंने आन्ध्र प्रदेश सरकार की एससीएसपी निधि उपयोगिता में विधान लाने के लिए प्रशंसा की और उन्होंने बताया कि इसी प्रकार के विधान के लिए इस नमूना विधान को सभी राज्यों को भेजा जा चुका है ताकि अनुसूचित जातियों के लाभ के लिए विशेष रूप से एससीएसपी निधि का प्रयोग किया जा सके तथा किसी भी प्रकार से इसमें बदलाव की अनुमति नहीं है । उन्होंने यह भी खुलासा किया कि भारत सरकार इसी क्षेत्र में केन्द्रीय विधान लाने की योजना भी बना रही है । न्यायपालिका में अनुसूचित जातियों के निम्न प्रस्तुतिकरण पर अफसोस करते हुए उन्होंने न्यायपालिका में शीघ्र आरक्षण की आशा व्यक्त की । उन्होंने दबाव के बावजूद अनुसूचित जातियों के कल्याण के लिए अनुकरणीय कार्य करने के लिए डॉ. पी.एल. पुनिया और उनकी टीम को धन्यवाद दिया ।

4.. डॉ. पी.एल. पुनिया, अध्यक्ष ने माननीय मंत्री जी का आयोग को उनके मार्गदर्शन के लिए धन्यवाद दिया । उन्होंने यह भी याद दिलाया कि जाति आधारित भेदभाव में कमी नहीं आई है बल्कि यह उड़ीसा, तमिलनाडु, हरियाणा इत्यादि जैसे राज्यों में बढ़ी है । उन्होंने हमारे देश में जाति प्रथा की बुराई को समाप्त करने के लिए सभी व्यक्तियों के बीच अत्यधिक समन्वय की सलाह दी । उन्होंने आशा जताई कि अनुसूचित जातियों के कल्याण के लिए बेहतर विधान बनाने के लिए आयोग और मंत्रालय को यह संवाद सहायता प्रदान करेगा ।

5. राज्य सभा सदस्य, श्री प्रवीण राष्ट्रपाल ने गुजरात में अनुसूचित जातियों के व्यक्तियों की बुरी स्थिति के बारे में बताया । उन्होंने बताया कि वहां रोस्टर का रखरखाव नहीं किया जाता है और अनुसूचित जातियों को कार्य नहीं मिल रहा है । इन्दिरा गांधी आवास और अम्बेडकर आवास योजना के अधीन अनुसूचित जातियों को मकान आबंटित नहीं किए जाते हैं । अत्याचार मामलों में दोषसिद्धि दर अत्यधिक कम है । यदि कोई अनुसूचित जाति का व्यक्ति निम्न न्यायालय में जीतता है तो राज्य सरकार हमेशा उच्च न्यायालय में अपील में जाती है । गुजरात राज्य में एससी/एसपी निधि का उचित रूप से उपयोग नहीं किया गया है । अनुसूचित जाति की महिलाओं को मंदिर में प्रवेश की अनुमति नहीं दी जाती है । विभिन्न स्तरों पर अत्याचार मामलों की बड़ी संख्या लम्बित पड़ी है ।

6. राजस्थान से श्री शंकर ने बताया कि अनुसूचित जातियों को लघु उद्योग व्यापार इत्यादि स्थापित करने के लिए 5 लाख रुपए तक के ब्याज रहित आर्थिक सहायता ऋण

प्रदान करने की अत्यधिक आवश्यकता है । उन्होंने अनुसूचित जाति के दूल्हों के लिए अपना दुख व्यक्त किया जिन्हें राजस्थान में घोड़ों पर बैठने की अनुमति नहीं दी जाती । छत्तीसगढ़ से श्री रामपाल भारद्वाज और मध्य प्रदेश से श्री सुरेन्द्र चौधरी और कुछ अन्य वक्ताओं ने बताया कि छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में उच्च जाति के लोगों द्वारा भूमि पर अतिक्रमण किया जा रहा है । अनुसूचित जाति के होशियार बच्चों को जानबूझकर कम अंक प्रदान किए जाते हैं ताकि वे सामाजिक पदानुक्रम में उठ न सकें । आरक्षण 16% से 12% तक कम कर दिया गया है । राज्यों में छात्रवृत्तियां जानबूझकर देरी से प्रदान की जाती हैं ।

7. श्री राहुल गांधी ने अपने भाषण के दौरान उत्तर प्रदेश के उनके अनुभव को बताया । उनके अनुसार वह जब भी उत्तर प्रदेश दौरे पर जाते हैं वह पाते हैं कि अनुसूचित जाति के बच्चे सिर्फ अन्तिम पंक्ति में बैठाए जाते हैं क्योंकि वे पढ़ाई में कमजोर होते हैं जबकि कमजोर बच्चों को प्रथम पंक्ति में रखा जाना चाहिए क्योंकि उन पर अधिक ध्यान देने की आवश्यकता होती है । उन्होंने प्रतिनिधियों को एकत्रित होने और उनकी समस्याओं को सामने रखने और एकजुट सुझाव प्रदान करने के लिए कहा ताकि उनकी आवाज सुनी जा सके । उन्होंने बताया कि अनुसूचित जाति के व्यक्ति कांग्रेस पार्टी की रीढ़ की हड्डी थे परन्तु वर्तमान में वे अब कुछ जा चुके हैं और उन्होंने एक बार फिर रीढ़ की हड्डी बने के लिए अनुसूचित जातियों से सहारा मिलने की उम्मीद जताई । उन्होंने एससीएसपी फंड उपयोगिता के आंध्र प्रदेश के मॉडल की भी प्रशंसा की और कहा कि इसे अन्य राज्य द्वारा भी ग्रहण किया जाना चाहिए । उन्होंने जोर दिया कि अनुसूचित जाति के बच्चे उचित अवसर प्राप्त नहीं कर रहे हैं जिसके कारण वे पिछड़ रहे हैं । उन्होंने सभी प्रतिनिधियों को आश्वासन दिया कि अनुसूचित जातियों के विकास और समानता के लिए लड़ाई में वे उनके साथ हैं ।

8. श्री भक्त चरण दास, संसद सदस्य, उड़ीसा ने बताया कि अनुसूचित जातियों की आर्थिक स्थिति उड़ीसा राज्य में बहुत बुरी है और वे वहां असुरक्षित महसूस करते हैं । श्री बलिहारी बाबू, भूतपूर्व संसद सदस्य, उत्तर प्रदेश, डॉ. अशोक राम, भूतपूर्व मंत्री, बिहार और अन्य वक्ताओं ने अनुसूचित जातियों के शिक्षा, स्वास्थ्य और अन्य मूलभूत वस्तुओं के अधिकार पर जोर दिया जिसके लिए विधान होना चाहिए । राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग को और अधिक शक्तियां प्रदान की जानी चाहिएं । उन्होंने न्यायपालिका में आरक्षण का प्रस्ताव किया ।

9. श्री बलराज सिंह, उप महापौर, चंडीगढ़ ने बताया कि चंडीगढ़ प्रशासन में रोस्टर का रखरखाव नहीं किया जाता है जिसके कारण अनुसूचित जातियों को पदोन्नति प्रदान नहीं की जाती है । उन्होंने यह भी बताया कि हरियाणा में अत्याचार बढ़ रहे हैं । हिमाचल

प्रदेश से श्री जगदीश ने बताया कि राजनैतिक कारणों के कारण हिमाचल प्रदेश राज्य में पिचासिवां संवैधानिक संशोधन क्रियान्वित नहीं किया गया है ।

10. श्री दामोदर राजा, उप मुख्यमंत्री, आंध्र प्रदेश ने बताया कि अनुसूचित जातियों और सामान्य वर्गों के मध्य सामाजिक-आर्थिक स्थिति में एक बहुत बड़ा अन्तराल है । शैक्षणिक नामांकन और पढ़ाई बीच में छोड़ने में असमानता जारी है । अनुसूचित जाति के विद्यार्थी अपनी बुरी सामाजिक-आर्थिक स्थिति के कारण प्राय: कला पाठ्यक्रम का विकल्प चुनते हैं । हाथ से मैला ढोना अभी भी जारी है । अनुसूचित जाति के 67% से अधिक व्यक्ति अरक्तता से पीड़ित हैं । अनुसूचित जाति उप-योजना में आबंटन और व्यय में अन्तर को देखा जाता है । कोई उचित योजना नहीं है । योजनाएं आवश्यकता आधारित नहीं हैं । मॉनीटरिंग और मूल्यांकन प्रणाली नहीं है । एससीएसपी बजट को कानूनी सुरक्षा प्राप्त नहीं है । वर्ष 2006 और 2011 में जारी किए गए एससीएसपी पर योजना आयोग के दिशा-निर्देशों पर भी उन्होंने प्रकाश डाला । मॉनीटरिंग समिति और मूल्यांकन समिति का राज्य स्तर पर गठन भी होना चाहिए । उन्होंने आगे बताया कि मॉनीटर करने, मूल्यांकन करने और अंतराल कम करने और कमियों की समीक्षा करने और उचित क्रियान्वयन करने के लिए राज्य परिषद सृजित किए जाने चाहिए ।

11. राष्ट्रीय संवाद के अंत में श्री पी.एल. पुनिया, माननीय अध्यक्ष ने सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय की माननीय मंत्री, कुमारी शैलजा, श्री राहुल गांधी जी और कार्यक्रम में बहुमूल्य सुझाव देने और उनके सक्रिय भाग लेने के लिए देश के विभिन्न भागों से आए अन्य प्रतिष्ठित प्रतिभागियों का धन्यवाद दिया । उन्होंने बताया कि आंध्र प्रदेश के नमूने पर मंत्रालय एक विधान पर विचार कर सकता है जो कि एससीएसपी के क्रियान्वयन के लिए सभी राज्यों के लिए बाध्य होना चाहिए । उनका यह विचार था कि देश में सभी अनुसूचित जाति के नेताओं के प्रशिक्षण की अत्यधिक आवश्यकता है । एकत्रित व्यक्तियों ने सामान्य प्रस्ताव और सुझाव संवाद हेतु कार्यसूची में प्रदान किए ।

———

रा-ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के राज्य कार्यालयों के स्थान, क्षेत्राधिकार और दूरभाष संख्या

प्रभारी अधिकारी	मुख्यालय तथा अधिकार-क्षेत्र	दूरभाष	पता
1	2	3	4
उप निदेशक	**अगरतला** (त्रिपुरा)	0381-2223140 2315967	प्रगति रोड़, लेक चौमुहनी, अगरतला-799001(त्रिपुरा पश्चिम)
निदेशक	**अहमदाबाद** (गुजरात, राजस्थान, दमन एवं दीव तथा दादर नगर हवेली)	079-25510717	दूसरा तल, मावलकर हवेली वसन्त चौक, लाल दरवाजा, अहमदाबाद-380001
निदेशक	**बेंगलूर** (कर्नाटक)	080-25537155 25527767	तीसरा तल, "डी " विंग, सी.जी.ओ. कॉम्पलेक्स, केन्द्रीय सदन, कोरमंगला, बेंगलूर- 560034
निदेशक	***चंड़ीगढ़*** *(हरियाणा, पंजाब ,* हिमाचल प्रदेश, जम्मू एवं कश्मीर तथा चंड़ीगढ़)	0172-2742561 2743784	छठा तल, केन्द्रीय सदन, सेक्टर 9-ए, चंड़ीगढ़-160017
निदेशक	**चैन्नई** (तमिलनाडु तथा पुदुचेरी)	044-28276430 28312851	दूसरा तल, ब्लाक-5, शास्त्री भवन, चैन्नई-600006
निदेशक	**गुवाहाटी** (असम,अरूणाचल प्रदेश, नागालैंड़, मेघालय, मिज़ोरम तथा मणिपुर)	0361-2347040 2346885	24, नीलमणि फुकन पथ, क्रिश्चयन बस्ती, गुवाहाटी-781005
निदेशक	**हैदराबाद** (आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश तथा छत्तीसगढ़)	040-2373407 23754904	204, मैत्रीविहार, अमीरपेट, हैदराबाद -500038
उप निदेशक	**कोलकाता** (पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, सिक्किम तथा अंडमान एवं निकोबार द्वीपसमूह)	033-23370977 23213259	मयुख भवन, (भू-तल), साल्ट लेक सिटी, कोलकाता-700091
निदेशक	**लखनऊ** (उत्तर प्रदेश तथा उत्तरांचल)	0522-2330288 2323860	पांचवां तल, केन्द्रीय भवन,

			सेक्टर-एच,अलीगंज, लखनऊ-226024
उप निदेशक	**पटना** (बिहार तथा झारखण्ड)	0612-2232285	189-बी, श्रीकृ-णापुरी, पटना-800001
निदेशक	**पुणे** (महारा-ट्र, गोवा तथा दमन एवं दीव)	020-27658033 27658973	केन्द्रीय सदन, "ए" विंग, आकुर्डी रेलवे स्टेशन के सामने, निगडी प्राधिकरण, पुणे-411044
सहा. निदेशक	**तिरुवनन्तपुरम** (केरल तथा लक्षद्वीप)	0471-2327530 2327661	टि.सि.-24/547(1), शास्ता गार्डन्स, रेसिडेन्सी रोड़, गवरमेन्ट गेस्ट हाउस के पास, तैक्काड, तिरुवनन्तपुरम-695014